

मनोरंजन दास

बनाम

झारखंड राज्य

21 अप्रैल, 2004

[के.जी. बालाकृष्णन और बी.एन. श्रीकृष्णा, जे.जे.]

भारतीय दंड संहिता, 1860:

धाराएं 420/109 - धोखाधड़ी के अपराध को बढ़ावा देना - एक खाता धारक जो किसी व्यक्ति को खाता खोलने के लिए बैंक में पेश करता है - इस प्रायर व्यक्ति ने बैंक में चालू खाता खोलने और नकली बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करके बैंक से कुछ राशि निकालने की शुरुआत की - परिचयकर्ता का अभियोजन - विचारण न्यायालय द्वारा धारा 420 के तहत दोषसिद्धि और सजा - अपीलीय न्यायालय ने दोषसिद्धि को धारा 420/109 में परिवर्तित कर दिया- अभिनिर्धारित किया कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने परिचयकर्ता को धारा 420/109 के अपराध के तहत दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की - उसने उक्त व्यक्ति को केवल खाता खोलने के लिए बैंक में पेश किया था और यह अपने आप में किसी कपट या छल का संकेत नहीं देता है - बैंक ने ऐसे समय में चेक पास किया जब नए खाताधारक के पास अपने क्रेडिट में पर्याप्त पैसा नहीं था, और उसके द्वारा दिए गए फर्जी ड्राफ्ट पर कार्रवाई की, जिसके लिए महीनों पहले उसे बैंक में पेश करने वाले परिचयकर्ता को छल के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है - यह दिखाने के लिए अभिलेख में कुछ भी नहीं है कि परिचयकर्ता किसी भी तरह से बैंक में नए खाता धारक द्वारा की गई धोखाधड़ी से संबंधित था - गवाहों के साक्ष्य भी परिचयकर्ता द्वारा धोखाधड़ी के किसी भी कार्य को करने में कोई मिलीभूगत नहीं दिखाते हैं - नीचे के न्यायालयों के निर्णयों को अपास्त

किया गया और परिचयकर्ता को धारा 420/109 के तहत आरोपों से दोषमुक्त किया गया - बैंक/बैंकिंग - खाताधारक द्वारा की गई धोखाधड़ी - परिचयकर्ता का उत्तरादित्व।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 650/1998

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 25/90(आर) में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 17.10.96 से।

देबा प्रसाद मुखर्जी, अपीलार्थी की ओर से।

कृष्णानंद पांडे और गौतम प्रसाद, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था:

यहाँ अपीलार्थी पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर, सिंहभूम द्वारा आई.पी.सी. की धाराओं 419/420/468471 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विचारण किया गया था। मजिस्ट्रेट द्वारा उसे आई.पी.सी. की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया और उसे तीन साल की अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई। अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय में अपील दायर की। अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी की आई.पी.सी. की धारा 420 की दोषसिद्धि को आई.पी.सी. की धारा 420/109 के तहत दोषसिद्धि में परिवर्तित कर दिया, हालांकि सजा बरकरार रखी, हालांकि अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण दायर की, यद्यपि उनकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई, कारावास की सजा को घटाकर छह महीने की अवधि कर दिया गया। उसी से आहत होकर, वर्तमान अपील दायर की गई है।

अपीलार्थी जमशेदपुर में एक व्यापारी था। 26-5-1972 को, एक लोकनाथ आचार्य सेंट्रल बैंक, जमशेदपुर में चालू खाता खोलना चाहता था। अपीलार्थी उसी बैंक में चालू खाता धारक होने के नाते, लोकनाथ आचार्य ने उक्त बैंक से परिचय कराने के लिए

अपीलार्थी की सहायता मांगी। कहा जाता है कि अपीलार्थी ने एक प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिसके द्वारा उसने पत्पर्यित तौर पर लोकनाथ आचार्य को बैंक से मिलवाया था। लोकनाथ आचार्य अपने चालू खाते का संचालन करता रहा अपना और 30.10.1972 को उसने तीन डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत किए, जिनमें से एक 32,100 रुपये, दूसरा 78,600 रुपये और अन्य 90,300 रुपये के लिए था। इन डिमांड ड्राफ्ट को प्रस्तुत करने के बाद उक्त लोकनाथ आचार्य द्वारा एक स्वयं के चेक द्वारा 27,000 रुपये निकले। बाद में, उसने 1,40,000 रुपये बैंक से निकालने के लिए का एक दूसरा स्वयं का चेक प्रस्तुत किया। हालांकि चेक जारी कर दिया गया था, प्रबंधक को एक आभास हुआ और चालु जमा खाता के प्रभारी अधिकारी को ड्राफ्ट को सत्यापित करने का निर्देश दिया। प्रभारी लेखाकार को कुछ अनियमितताएं मिलीं और उसे ड्राफ्टों की असलियत पर संदेह हुआ। प्रबंधक ने 1,40,000 रुपये के चेक का भुगतान रोक दिया। 1,40,000 और इस बैंक की श्रीनगर शाखा को एक तार भेजा जहाँ से ये ड्राफ्ट जारी किए गए थे। श्रीनगर शाखा से जवाब मिला कि ऐसा कोई ड्राफ्ट कभी जारी नहीं किया गया था। प्रबंधक ने लोकनाथ आचार्य की तलाश की और ऐसा प्रतीत होता है कि तब तक वह गायब हो चुका था। प्रबंधक ने पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि लोकनाथ आचार्य और अपीलकर्ता जिसने उसे चालु खाता शुरू करने के लिए बैंक में पेश किया था और एक बैंक कर्मचारी एम.बी. चौधरी भी चाल और कपट में शामिल थे और यह आरोप लगाया कि बैंक से अवैध तरीके से पैसे निकाले गए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने इन तीन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और अन्य संबद्ध अपराधों के तहत मामला दर्ज किया। लोकनाथ आचार्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सका और वह फरार रहा तथा अपीलार्थी और एम.बी.चौधरी को आपराधिक विचारण का सामना करना पड़ा।

अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों को परीक्षित कराया गया, पीडब्लू-1 बैंक का प्रबंधक था, पीडब्लू-2 प्रासंगिक समय में सेंट्रल बैंक का लेखाकार था और पीडब्लू-3 केंद्रीय बैंक का एक अन्य क्षेत्रीय प्रबंधक है। जाँच अधिकारी को परीक्षित नहीं कराया गया। एक गवाह को भी सह-अभियुक्त एम.बी. चौधरी के कहने पर बचाव पक्ष के लिए परीक्षित कराया गया, जिसे अपीलीय न्यायालय के दोषमुक्त कर दिया।

हमने अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता और राज्य के अधिवक्ता को भी सुना।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने हमारे समक्ष तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया कि वर्तमान अपीलार्थी ने कानून के तहत दंडनीय कोई अपराध किया है। यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी ने लोकनाथ आचार्य को बैंक में चालू खाता शुरू करने के लिए पेश किया था और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसने किसी भी समय कोई कपट करने के लिए लोकनाथ आचार्य के साथ मिलीभगत की थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि लोकनाथ आचार्य के संबंध में अपीलार्थी का बैंक में परिचय 26.5.72 को था और 27,000 रुपये का चैक लोकनाथ आचार्य द्वारा अक्टूबर, 1972 के महीने में वापस ले लिया गया था और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी का लोकनाथ आचार्य के साथ कोई व्यावसायिक संबंध या भ्रम था। हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया और यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी किसी भी तरह से लोकनाथ आचार्य द्वारा बैंक में की गई धोखाधड़ी से संबंधित था। अभियोजन पक्ष ने वह प्रपत्र भी पेश नहीं किया जिसमें अपीलार्थी ने बैंक में चालू खाता शुरू करने के लिए लोकनाथ आचार्य को पेश करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। तीन गवाहों का साक्ष्य भी अपीलार्थी द्वारा धोखाधड़ी के किसी भी कार्य में कोई संलिप्तता

नहीं दिखाता है। अपीलार्थी ने लोकनाथ आचार्य को केवल खाता खोलने के लिए बैंक से मिलवाया था और यह अपने आप में किसी कपट या छल का संकेत नहीं देता है।

यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि वर्तमान अपीलार्थी ने लोकनाथ आचार्य को शिकायतकर्ता बैंक के समक्ष फर्जी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के लिए उकसाया था। यह कहना भी सही नहीं है कि अपीलार्थी किसी भी तरह से बैंक को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार था। जब बैंक ने 27,000 रुपये का चेक उसवक्त पास किया जब खाताधारक लोकनाथ आचार्य के खाते में पर्याप्त पैसे नहीं थे। उन्होंने उसके द्वारा दिए गए फर्जी ड्राफ्ट पर कार्रवाई की, जिसके लिए अपीलकर्ता जिसने लगभग खाताधारक को लगभग छह महीने पहले पेश किया था, उसे धोखाधड़ी के लिए उकसाने के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने इसमें अपीलार्थी को आई.पी.सी. की धारा 420/109 के तहत अपराध का ठहराने में गंभीर त्रुटि की है। हम विचारण न्यायालय, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त करते हैं और अपीलार्थी को आई.पी.सी. की धारा 420/109 के आरोप से दोषमुक्त करते हैं। जमानत बांड उन्मोचित माने जायेंगे। अपील स्वीकार की जाती है।

आर. पी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।
